

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 11/2014 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

आईदानराम बनाम धाईदिवीवगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थी वकील :- श्री जगदीश पोटलिया

विप्रार्थीगण वकील :- श्री ठाकराराम कड़वासरा

निर्णय

दिनांक - 24.05.2018


पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प रतासर में पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा रतासर, पटवार क्षेत्र जैसार, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 502/396 रकबा 32.19 बीघा स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 2,4,5,6,8,11,13,14,15 की ओर से अधिवक्ता श्री ठाकराराम कड़वासरा ने वकालतनामा पेश किया। विप्रार्थी सं. 2 से 15 की ओर से जवाब पेश किया गया। बहस वकील उभयपक्षकारान की सुनी गई। वादग्रस्त आराजी के मौका कब्जा काशत की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तहसीलदार से मंगवाई गई। तहसीलदार से मौका कब्जा काशत की रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा रतासर, पटवार क्षेत्र रतासर, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 502/396 रकबा 32.19 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । मौका कमीशनर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

कमीशनर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरो की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प रतासर में सुनाया गया।


(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1137
प्रार्थी :-

1.आईदानराम पुत्र केसराराम
जाति जाट, निवासी बाड़मेर

दिनांक 24.05.18

विप्रार्थीगण:-

1.धाईदेवी पत्नि मोडाराम 2.नगाराम 3.पूराराम पि.
जेठाराम 4.धापूदेवी पत्नि जेठाराम 5.मगाराम
6.हड्डुमान 7.पूराराम पि.हीराराम 8.अखाराम पुत्र
अर्जनराम 9.गंगाराम 10.कलाराम पि.भूराराम
11.चीमाराम पुत्र पूराराम 12.लालाराम पुत्र आसूराम
13.मालाराम 14.आसूराम 15.पूराराम पि.आईदानराम
जाति जाट, निवासी रतासर, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 11/14

दिनांक : 24.05.2018

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन के पटवार क्षेत्र जैसार के मौजा रतासर, के खेत खसरा सं. 502/396 रकबा 32.19 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

कमिश्नर फीश प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थी कमिश्नर को कमिश्नर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2018/ 1138-41
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी आईदानराम
3. विप्रार्थीगण धाईदेवी वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चोहटन/बीजराड़/सेड़वा/धौरीमन्ना/बाखासर

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन
दिनांक 24.05.18

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन